ISSN: 2349-7637 (Online)
Volume-5, Issue-12, December 2018
RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

मानवाधिकार की अवधारणा : सामान्य विश्लेषण

Dr. Laxmi Narayan

Assistant Professor (Political Science), Govt. College, Malsisar, Jhunjhunu, Rajathan

शोध सारांश– मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके सामाजिक वातवरण के स्वस्थ्य दृष्टिकोण के विकास हेतु महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार हमें जन्म से प्राप्त है इसलिए इसकी प्राप्ति में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, राष्ट्रीयता बाधक नहीं है। ये हमारे नैसर्गिक अधिकार है और इन अधिकारों का हनन ना हो ऐसी स्थिति में राज्य से मानवाधिकार अपेक्षा रखता है कि निर्माता होने के साथ–साथ संरक्षक भी रहे। ज्ञातव्य है कि मानवाधिकारों को पहचान देने और इन अधिकारों के अस्तित्व सशक्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर 10 दिसम्बर को अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार वस्तुतः वे अधिकार है, जो प्रत्येक मनुष्य को केवल और केवल इस आधार पर मिलना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य है। वास्तव में इन्हें 'बहुधा', 'मूल' अथवा मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। आज विश्व का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रूप में इन अधिकारों को मान्यता नहीं दिया अर्थात् विश्व के समस्त राज्यों ने इन अधिकारों को मान्यता प्रदान किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत भी मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वर्तमान समय में विश्व में मानवाधिकारों के मामले पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। यह एक अहम मुद्दा बन चुका है जिसे किसी भी परिस्थिति में नकारा नहीं जा सकता है। प्रश्न जो उपस्थित है कि यह बात उठी क्यों ? इन प्रश्नों के मूल तथ्य में केवल मनुष्य होना ही समस्त अधिकारों को प्रदान करता है। आज देखा जा सकता है कि विश्व के समस्त राज्यों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर सभी जगह इन्हें स्थान प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो यह महत्वपूर्ण उद्देश्य ही है कि वह मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता को जाति, भाषा, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करें।

संकेताक्षर– मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, राज्य।

शोध विस्तार– मानवीय अधिकार वास्तव में वे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलने चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है। इन्हें बहुधा मूल अथवा मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत मानव अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चार्टर की प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति विश्वास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वातन्त्रता को बिना जाति, भाषा, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव के प्रोत्साहन प्रदान करें।[1] संयुक्त राष्ट्र संध की सामान्य सभी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता के लिए अध्ययन कराये तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 55 में प्रावधान है कि स्थायित्व तथा भलाई कि दशाये उत्पन्न करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं अथवा सर्वभौमिक आदर तथा उनके पालन को प्रोत्साहित करें। इस प्रावधान की शक्ति को इसके महत्व को अनुच्छेद 56 और भी बढ़ा देता है। इस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि वह अनुच्छेद 55 में वर्णित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संस्था के सहयोग से पृथक तथा संयुक्त कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार अनुच्छेदों 55 तथा 56 के अन्तर्गत सदस्य राज्यों तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में दायित्व है। यह मत अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिणी–पश्चिमी अफ्रीका वाद सन् 1971 में अपनी सलाहकारी में यह मत प्रकट किया है इसमें सन्देह नहीं है कि अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने मत अन्तरराष्ट्रीय स्थिति वाले क्षेत्र के लिए प्रकट किया था। परन्तु जैसा इगान स्कवेल्ब ने लिखा है कि इस मत का विस्तृत महत्व है तथा यह अन्तरराष्ट्रीय के स्थिति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।

अतः चार्टर के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बिना जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को लागू करवायेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहित करने के लिए में अधिकार प्रदान किये है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् इस विषय में इस विषय में कमीशन नियुक्त कर सकती है। उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रन्यासी प्रणाली का भी उत्तरदायित्व है कि वह मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को प्रन्यासी क्षेत्रों में उन्हें लागू करवाने का प्रसास करें।[2] लुईस हेन्किन के अनुसार, ''संयुक्त राष्ट्र की किसी भी कथा में मानवीय अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

एक समय था जब राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे कि वह चाहे जिस प्रकार से अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करें। परन्तु जैसा कि ओपेनहाइम ने स्पष्ट किया है कि अब यह बात अधिकतर लोग स्वीकार करते है कि अपने नागरिकों के प्रति व्यवहार के मामले में राज्यों के स्वविवेक या स्वतंत्रता की कुछ सीमाऐं है। भूतकाल में जब कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता था या उनके साथ अत्याचार करता था अथवा उन्हें उनके मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रतायें नहीं देता था तो मनुष्यता के हित में ऐसे राज्यों के मामले में दूसरे राज्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता था। न्यायाधीश लाटरपैट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानवीय अधिकार के मामले में राज्यों को कुछ उत्तरदायित्व देता है। जान हम्फ्री के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय अधिकारों के विषय में कुछ नियम तथा मापदण्ड स्थापित किये है और राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे इस विषय में सहयोग करे। परन्तु जहां तक मानवीय अधिकारों को लागू कराने का प्रश्न है। अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव है।[3] इस विषय में से सबसे पहली रूकावट यह है कि संयुक्त राष्ट्र राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बहुधा मानवीय अधिकारों के उल्लंघ्ज्ञन के मामलों में राज्य इस प्रावधान का हवाला देते है। परन्तु स्मरणीय है कि राज्यों के घरेलू मामलों का क्षेत्र दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है। जैसे–जैसे अन्तरराष्ट्रीय समुदाय तथा अन्तरराष्ट्रीय विधि का विकास हो रहा है, बहुत से मामले जो पहले राज्यों के घरेलू मामलों के अन्तर्गत थे, अब उन्हें अन्तरराष्ट्रीय विषय माना जाता है।

अब यह सामान्यतया स्वीकार किया जाता है कि मानव अधिकारों को कार्यान्वित करने में घरेलू मामलों (अनुच्छेद 2(7)) का अपवाद लागू नहीं होगा। बंगलादेश में होने वाले मानव अधिकारों के अप्रत्याशित उल्लंघन से अन्तरराष्ट्रीय शान्ति तथा उदासीनता तथा अकर्मण्यता खेद का विषय है। यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन से अन्तरराष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप कर सकता है। अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र चार्टर के मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने तथा अन्तरराष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के मध्य अटूट संबंध है।[4]

मानवाधिकारों का महत्व–

मानव अधिकारों का महत्व आज निर्विवाद है। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। विश्व प्रसिद्ध अनेक दार्शनिकों ने इसकी महिमा का गुणगान किया है। अधिकारों की बात करते हुए जैसे पहले लिखा जा चुका है कि हैराल्ड लास्की ने कहां है कि अधिकार एक ऐसी व्यवस्था जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव अधिकार का महत्व इसी बात पर टिका हुआ है कि जहां रोटी, कपड़ा और मकान जहां मानव के लिए अपरिहार्य है, वहीं इनके अतिरिक्त कुछ और चीजें भी है जो उसे गरिमामय जीवन व्यतीत करने की मदद करती है और उनके मानवाधिकार को योगदान सहनीय है।

मानव अधिकार की जो स्थिति आज है वह व्यक्ति के राज्य की महती शक्ति के विरूद्ध सदियों के संघर्ष का परिणाम है और आज कोई यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि ये अधिकार जो मानव के है, मानवता की सभ्य और संस्कृती की मांग जिसमें उनके अन्तर्निहित गरिमा को आदर और संरक्षण मिलगा, के रूप में प्रस्तुत है। जब हम मानवाधिकार की बात करते है तब हम केवल आवश्यकताओं की बात नहीं करते अपितु जीवन की इन दशाओं की भी बात करते है जो हमें इस लायक बना सके कि हम अपना पूर्ण विकास कर सके और अपने गुणों बुद्धि और अन्तर्चेतना का प्रयोग अपनी आध्यत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सके। मानव अधिकार वास्तव में हमारी प्रकृति के मूल तत्वों में है जो हमारे दैनिक जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है।[5]

अतः मानव अधिकार का हनन वह पृष्टिभूमि तैयार करेगा जो राष्ट्रों और राष्ट्रों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के बीच राजनैतिक और सामाजिक तनाव, युद्ध और विरोध का कारण बने। मानवाधिकार की वंचना अच्छे जीवन की अधिक से अधिक अति महत्वपूर्ण मांगों को प्रेरित करती है, अर्थात् मूल वैयक्तिक और सामुदायिक मूल्यों में अधिक से अधिक पहुंच और व्यापक सहभागिता। इन्हीं कारकों के कारण मानवाधिकार को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आदर सत्कार मिल रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास विशेष रूप से नये और अकल्पनीय विध्वंस के नये अस्त्रों तथा अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के देशों के सार्वभौमिक परस्पर निर्भरता के उभार के मानवाधिकार के महत्व में एक नया अयाम जुटा है। मानवाधिकार के शान्ति के प्रश्न से जुट जाने के कारण भी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का महत्व बढ़ गया है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि आजकल राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की वंचना संघर्ष और गृह युद्धों को प्रेरित करती है जो अन्ततः विश्वशांति के लिए खतरा पैदा करती है।[6]

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

मानवाधिकार का महत्व इस बात से भी आंका जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के सम्वर्धन और संरक्षण को इसने अपने उद्देश्यों में रखा। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषका से बचाने के लिए राष्ट्र संघ ने मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव की गरिमा और महत्व के प्रति अपने निष्ठा की अभिपुष्ट की। मूलवंश लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि प्रोत्साहित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की कामना की।[7]

पिछले 25 वर्षों में मानवाधिकार की संकल्पना हमारे राष्ट्रों के बीच संबंध की सौच का एक स्थायी अंग बन चुकी है। अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार अब विदेशी सहायता की विधायी शर्त हो गई है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक विधान के अनुसार प्रत्येक उस राज्य के लिए आर्थिक सहायता प्रतिबंधित है जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों का नियमित रूप से घोर उपेक्षा करता है।[8] मानव अधिकार को नौकरशाही के ढांचे में संस्थागत रूप दे दिया है।

मानवाधिकार–मूल्य विश्लेषण और विकास के लिए उचित ढांचा प्रदान करते है। वर्तमान में पाश्चात्य विचारों के समागम से मानव चेतना को झकझोर दिया है। भारत ने सभी उत्तम विचारों को विवेकपूर्ण दृष्टि से स्वीकार करते हुए एक राजनीतिक तंत्र विकसित किया है और संविधान निर्माता यह महसूस करते थे कि बुनियादी मानवाधिकार के बिना प्राप्त की गई स्वतंत्रता बेमानी है। इसलिए भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हाल के वर्षों में मानवाधिकार के सबसे अधिक मामले महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय महिलाये समाज एवं राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है। सन् 1997–98 की रिपोर्ट देखने पर यह स्पष्ट होता है कि देश भर के राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन के कुल 35779 शिकायतें प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार राजस्थान में महिला उत्पीड़न के कुल 18929 मामले दर्ज हुए जो देश में महिलाओं से जुड़े अपराधों का 13.4 प्रतिशत है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को ना करने की सिद्धान्त की पुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए है और गरिमा एवं अधिकारों में समान है तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के हकदार है। इसलिए इन अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा भविष्य में इसके उल्लंघन को रोकने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि अन्तरराष्ट्रीय विधि प्रणाली को और भी अधिक प्रभावी बनाया जाय, नहीं तो केवल आदेश और निर्देश जारी कर देने से देश भर में कुछ सुधरने होने वाला नहीं है, जब तक मानवाधिकार के मुख्य नियम एवं लोगों में जागरूकता संबंधी निर्देशों के पालन की दिशा में हम सचेष्ट नहीं होंगे तब तक शोषण का यह सिलसिला चलता रहेगा और यो ही सूली पर यह अधिकार लटका रहेगा।

अतः अब वहां मानव अधिकार और मानवीय क्रियाकलापों के लिए एक असिसटेन्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गयी है और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के दिमांग में अब यह गहरे बैठ गया है कि मानवाधिकार अब एक महत्वपूर्ण मानक है जिससे हम दूसरे राष्ट्रों क्रिया कलापों को माप सकते है।

मानव अधिकार अब एक राजनैतिक और नैतिक संकल्पना ही नहीं रही यह एक विधिक संकल्पना भी है। यह आश्चर्यजनक बात है, मानवाधिकार अब विकसित होते हुए विधिशास्त्रीय साहित्य का विषय वस्तु बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अब अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मानव अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरूद्ध अधिकार प्रदान करते है। अपने इस दावों की पुष्टि में अनेकानेक संधियों, अभिसमयों, संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों की इंगित कर सकते है जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकारों की गारन्टी देते है।[9]

निष्कर्ष– वर्तमान समय में अमेरिका स्थित मानव अधिकार संगठन हयूमन राइट्स वाच ने कहा है कि अमेरिका अनेक देशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर रहा है। संगठन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान की प्रशंसा करते हुए कहां कि उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती महासचिवों की तुलना में अधिकारों के प्रति सबसे अधिक वचनबद्धता दिखायी है। रिपोर्ट में अनेक देशों की सरकारों को आड़े हाथों लेते अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों पर इस मोर्चे का विफल होने का आरोप लगाया है 68 देशों के मानवाधिकार का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लगभग सभी देशों की सरकारों ने इस बात को मान लिया है कि मानव अधिकार के उल्लंघन को आन्तरिक मामला नहीं माना जा सकता। अब मानव अधिकारों का उल्लंघन सारी दुनिया के लिए चिंता विषय बन गया है। यदि कोई शासनाध्यक्ष अपने यहां मानव अधिकार का सम्मान नहीं करता है तो निःसंदेह उसकी आन्तरिक तथा बाध्य सुरक्षा प्रभावित होगी।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

संदर्भ सूची–

1. एम. हन्फी, (2014) ''स्त्री शिक्षा'', आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन, पृ. 25–27
2. एस.के. कपूर, अन्तरराष्ट्रीय विधि, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहबाद, 1983, पृ. 114
3. डब्लू मिलर, ह्यूमन राइट्स, ए. विवलियोग्राफी 1970–76, पृ. 87
4. अशोक कुमार, (2007), ''उपकार राजनीति विज्ञान'', आगरा उपकार प्रकाशन, पृ. 30–31
5. वहीं, पृ. 45
6. ओम प्रकाश गाबा, (2003), ''राजनीति चिंतन की रूपरेखा'', नोएडा, मयूर बैक्स, पृ. 399–400
7. डॉ. प्रभुदत्त शर्मा, (2000), ''अंतरराष्ट्रीय संबंध'', जयपुर, कॉलेज बुक डिपो, पृ.40
8. Louis Henkin, (1987), "The international bill of right CD Publishing" page no 107-108
9. सुशील अग्रवाल, (2008), ''नारी की स्थिति'', आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 95–98

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)